जम्मू और कश्मीर के बरशाला गांव में नरसंहार

429. **श्री अनन्तराय जायसवाल**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 5 जनवरी,1996 को जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले के बरशाला गांव में हुए नरसंहार की जानकारी हैं,यदि हां,तो इस नरसंहार में कितने व्यक्ति मारे गये तथा सरकारी सतर्कता संबंधी दावों के बावजूद यह घटना कैसे घटी ;

(ख) क्या इस घटना की कोई न्यायिक जांच कराये जाने की मांग की गई थी,और क्या सरकार ने यह न्यायिक जांच कराई हैं;और

(ग) यदि हां,तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं और यदि नहीं,तो जांच न कराये जाने के क्या कारण हैं और इस नरसंहार में मारे गये लोगों के परिवार के सदस्यों के पुनर्वास और आजीविका के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) 5 जनवरी,1996 को लगभग 2200 बजे,उग्रवादियों को एक ग्रुप चुपके से बरशाला गांव में घुसा । एक निवासी से बन्दूक की नोक पर 20,000 रू. और कुछ आभूषण खसोटने के बाद, उन्होंने 15 ग्रामीणों को अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया गया,जबकि एक ग्रामीण को घटनास्थल पर ही गोली मार दी गयी । गांव छोड़ने से पहले उन्होंने एक प्राईमरी स्कूल और एक मिडिल स्कूल के भवन को आग लगा दी । अपहृत ग्रामीणों में से 14 की नजदीक के जंगल में हत्या कर दी गयी जबकि एक को छोड़ दिया गया । इस घटना में कुल मिलाकर 15 व्यक्ति मारे गये । यह चुपके से घुसकर हमला करने की घटनाओं में से एक हैं और उग्रवादी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए ।

(ख) और (ग) इस घटना की कोई न्यायिक जांच नहीं की गयी । तथापि जिले में सुरक्षा तंत्र को और सुदृढ़ कर दिया गया हैं,सुमेद्य स्थानों पर और टुकड़ियां तैनात की गयी हैं,उग्रवादियों को पकड़ने के लिए गश्त और तलाशी अभियान तेज कर दिया गया हैं । राज्य प्रशासन ने भी सूचित किया हैं कि मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकट संबंधी को एक लाख रू. की अनुवाह राहत दी गयी हैं । इसके अतिरिक्त मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार के पात्र सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी ।

Designation and recruitment of Group 'D' Employees

430. SHRI RAGHAVJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that group 'D' employees of Central Government are designated and recruited in sub-groups as Chowkidar, Sweeper, Mali, Peon, etc;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the details of their duties and Over-time admissible to them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MAGARET ALVA): (a) Yes, Sir.

(b) Since the powers to make recruitment against Group 'D' posts arc vested with the head of office in the respective Ministries/Departments, the details of various Group 'D' posts are not centrally maintained.

(c) The duties of Group 'D' employees are consistent with the nomenclature of the post held by them. For instance a Group 'D' employee holding the post of a peon attached to an officer is required to assist him in his official work and also perform duties which are incidental to the official work of the officer. However, as there are numerous categories of Group 'D' employees, it is not practicable to enumerate all the duties expected from Group 'D' staff. The overtime allowance to Central Government employees including Group 'D' staff is regulated in accordance with the provisions of Ministry of Finance O.M.No. 15011/2/E II(D)/76 dated 11.8.1976. The revised rates of Overtime allowance are contained in Department of Personnel & Training O.M.No. 15012/86/Estt. (All.) /dated 19.3.1991 as *[See* Appendix 176, Annexure 18]